न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1. दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या 429/2026

1. **हिरेन कुमार उर्फ लाला** पुत्र चेहरा भाई, उम्र-29 वर्ष, निवासी-193, कान्ती काका की लाठी, हाईवे से पूर्व मुकाम पोस्ट नई भीलडी, तहसील-डीसा, पुलिस थाना-भीलडी, जिला-बनास काठा (गुजरात)
2. **गोकुल कुमार** पुत्र नवीन भाई, उम्र-32 वर्ष, निवासी-23 हाईवे रोड मुकाम पोस्ट नई भीलडी, तहसील-डीसा, पुलिस थाना-भीलडी, जिला-बनास काठा (गुजरात)
3. **ओमकुमार** पुत्र दिलीप भाई, उम्र-20 वर्ष, निवासी-बुकडी चौराया विजय कुआ ओडवास, पोस्ट पाटन पुलिस थाना ए डिवीजन, जिला-पाटन (गुजरात)
4. **योगेश** पुत्र जगदीश, उम्र-33 वर्ष, निवासी- 359 बापू नगर विस्तार, पुलिस थाना-कोतवाली, जिला पाली (राज.)

.... प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

2. दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या 457/2026

1. **भावेश** पुत्र रामलाल, उम्र-21 वर्ष, निवासी-12 भलावतों का बास, भैरूघाट, पाली (राज.)

.... प्रार्थी/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, पाली। .... अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
सी.आर. नंबर **277/2026** पुलिस थाना **कोतवाली, पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **319(2), 318(4), 336(2), 336(3), 61(2), (A), 112(2) बीएनएस, 2023 & 66C, 66D आई.टी. एक्ट**

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण हिरेन कुमार उर्फ लाला, गोकुल कुमार, ओम कुमार व योगेश गिरफ्तारी की दिनांक 16.05.2026
प्रार्थी/अभियुक्त भावेश की गिरफतारी की दिनांक 17.05.2026

उपस्थित:-

1. **श्री विक्रमसिंह जोधा,** अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण हिरेन कुमार उर्फ लाला, गोकुल कुमार, ओम कुमार व योगेश की ओर से।
2. **श्री कमलेश दवेरा**, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त भावेश की ओर से।
3. **श्री निखिल व्यास**, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक: 04.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **हिरेन कुमार उर्फ लाला, गोकुल कुमार, ओम कुमार, योगेश** व **भावेश** की ओर से जरिए अधिवक्तागण इस प्रकरण में नियमित जमानत हेतु उपरोक्त पृथक पृथक **प्रथम** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. माननीय सेशन न्यायालय, पाली के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जहां से अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किये गये। उक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित पुलिस थाने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रेकार्ड, अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये गये। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया गया।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है, परिवादी ने मिथ्या रिपोर्ट दर्ज करवाकर उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति ने छल या धोखाधडी करने की रिपोर्ट पेश नहीं की है और न ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा किसी व्यक्ति को उत्प्रेरणा देकर कोई सम्पत्ति या राशि प्राप्त की गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को शक एवं अनुमान के आधार पर मिथ्या गिरफ्तार किया है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान शेष नहीं है। आरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्यु

दण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 16.05.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। निरन्तर अभिरक्षा में रहने से उनके स्वास्थ्य एवं चरित्र पर बुरा प्रभाव पडेगा। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

3. प्रार्थी/अभियुक्त भावेश के अधिवक्ता का उक्त तर्को के अलावा यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दस्तयाबी के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, उसका सह-अभियुक्तगण से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं है।

4. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर आरोप है, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज.** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Sr. No.	*FIR No. & P.S.*	*Case No.*	*Section*	*Date*	*Release on any previous occasion (If any)*
-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-	-NIL-

6. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड एवं उभयपक्षीय तर्कों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 16.05.2026 को परिवादी शंकरलाल, एएसआई पुलिस थाना कोतवाली पाली द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, पाली में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 16.05.2026 को वक्त 01.15 पीएम पर जरिये खास मुखबीर द्वारा विश्वसनीय ईतला मिली कि-'बापू नगर पाली में श्री केवलचन्द के मकान के दूसरी मंजिल पर बने कमरे के अन्दर के कई लोग एक साथ मिलकर बैंक खाते खरीदकर/किराये पर लेकर फोड के पैसो का लेन-देन कर रहे हैं, तुरन्त दबिश दी जावे तो कई लेपटॉप, मोबाईल, बैंक खाते सहित फ्रोड के पैसों का लेन-देन करते हुए पकड़े जा सकते है तथा भारी मात्रा मे लेपटॉप,

मोबाईल, बैंक खाते, एटीएम की बरामदगी हो सकती है।' उक्त ईतला की तस्दीक हेतु शंकरलाल सठनि मय जाब्ता थाने में स्वाना होकर मुखबीर ईत्तलानुसार उक्त स्थान पर पहुंचा। द्वितीय मंजिल पर एक कमरे का गेट खुला था, उक्त कमरे में चार व्यक्ति फर्श पर बिस्तर किये हुए पर लेपटॉप लेकर कार्य करते हुए दिखाई दिये तथा चारों के पास कई मोबाईल फोन पडे मिले। उक्त चारो का नाम-पता पूछा तो उन्होंने अपने नाम (1) हिरेन कुमार उर्फ लाला (2) गोकुल कुमार (3) ओम कुमार व (4) योगेश होना बताये। सभी ने किराये पर बैंक खाते खरीदकर साईबर ठगी, गेमिंग, कसीनो, आईपीएल सट्टे की राशि को ORBIS PAY APPLICATION के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों मे प्राप्त कर साईबर की वारदात करना बताया। जिसके सम्बन्ध मे ORBIS PAY APPLICATION के माध्यम से अलग-अलग बैंक खातों में प्राप्त करने व भेजने के संबंध में कोई लीगल दस्तावेज पेश करने हेतु कहा तो किसी के पास नहीं होना पाया गया, ना ही किसी ने दस्तावेज पेश किये। चारो के कब्जे से मिले लेपटॉप को चैक करने पर लेपटॉप में ORBIS PAY APPLICATION खुली होना पाया गया, जिनको इन्टरनेट से जोड कर ORBIS PAY APPLICATION के माध्यम से ऑनलाईन खातो से प्राप्त पैसे का लेन-देन कर लोगों के साथ ठगी करना पाया गया। उक्त चारों के कब्जे से 05 लेपटॉप, 04 लेपटॉप चार्जर, 34 एन्ड्रोईड मोबाईल मय सीम, 11 सीम कार्ड, 05 मोबाईल चार्जर, विभिन्न बैंको के 29 एटीएम, विभिन्न बैंको की 03 खाता बुक, डीसीबी बैंक की 02 चौक बुक, 01 एयरटेल कम्पनी का वाईफाई कनेक्शन, 01 इलेक्टीक चार्जर बोर्ड को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती के जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। नोटिस देकर उक्त चारों मुलजिमान को गिरफतार किया गया।

7. इत्यादि रिपोर्ट पर **पुलिस थाना कोतवाली, पाली** में प्रकरण सं. **277/2026**, धारा **319(2), 318(4), 336(2), 336(3), 61(2), (A), 112(2) बीएनएस, 2023 & 66 C, 66 D आई.टी. एक्ट** के तहत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रकरण में संदिग्ध आरोपी भावेश व लोकेश द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति पर उनके विरूद्ध उक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उन्हें गिरफतार किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने से यह जमानत आवेदन पेश किया गया है।

8. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध किराये पर बैंक खाते

खरीदकर साईबर ठगी, गेमिंग, कसीनो, आईपीएल सट्टे से संबंधित अवैध धनराशि को ORBIS PAY APPLICATION के माध्यम से अलग अलग बैंक खातों में प्राप्त कर साईबर ठगी करने के संबंध में धारा **319(2), 318(4), 336(2), 336(3), 61(2), (A), 112(2) बीएनएस, 2023 & 66C, 66D आई.टी. एक्ट** के अपराध का आरोप प्रथमदृष्टया स्थापित होना दर्शाया गया है, अभियुक्तगण से बडी संख्या में कम्प्युटर उपकरणों, मोबाईल फोनस एवं बैंकों की खाता बुक बरामद की जाकर इस संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी होना दर्शित है। वर्तमान में साईबर ठगी के अपराधों निरन्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है जिससे समाज पर घातक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी घटनाओं पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से लोगों की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विस्तृत टिप्पणी किया जाना एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

9. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **हिरेन कुमार उर्फ लाला, गोकुल कुमार, ओमकुमार**, **योगेश** व **भावेश** की ओर से उक्तानुसार पृथक पृथक प्रस्तुत किये गये उक्त दोनों जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

10. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.04 18:45:41 IST